

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्यालय आदेश

का0आ0सं0:-1/अ0प्र0-1-36/2011

५५५

/पटना, दिनांक 3.9.25

विभाग अन्तर्गत पदस्थापित पदाधिकारियों के बीच कार्यालय आदेश सं0-456-सह-पठित ज्ञापांक-8904 दिनांक-18.08.2025 द्वारा कार्य आवंटित किया गया है। कार्यों के सुचारु सम्पादन हेतु पदाधिकारियों के अन्यथा अनुपस्थिति के कारण उन्हें आवंटित कार्यों के सम्पादन हेतु निम्नवत प्रतिस्थानी पदाधिकारी द्वारा उक्त कार्य सम्पादित किया जायेगा:-

2. श्री मनोज कुमार, विशेष सचिव की अनुपस्थिति में श्री संजय कुमार, भा0प्र0से0, संयुक्त सचिव उनके कार्यों का पूर्ण निर्वहन करेंगे।
3. श्री संजय कुमार, भा0प्र0से0, संयुक्त सचिव के अनुपस्थिति में श्री अभय झा, भा0प्र0से0, संयुक्त सचिव एवं श्री अभय झा, भा0प्र0से0, संयुक्त सचिव अनुपस्थिति में श्री संजय कुमार, भा0प्र0से0, संयुक्त सचिव उनके कार्यों का पूर्ण निर्वहन करेंगे।
4. श्री कुमार अनिल सिन्हा, संयुक्त सचिव की अनुपस्थिति में श्री संजय कुमार, भा0प्र0से0, संयुक्त सचिव उनके कार्यों का पूर्ण निर्वहन करेंगे।
5. अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव की अनुपस्थिति में अभियंता प्रमुख एवं अभियंता प्रमुख की अनुपस्थिति में अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव उनके कार्यों का पूर्ण निर्वहन करेंगे।
6. श्री संजय कुमार, अवर सचिव की अनुपस्थिति में श्री आदित्य प्रकाश, अवर सचिव उनके कार्यों का पूर्ण निर्वहन करेंगे।
7. श्रीमती मंजु सीमा तिग्गा, अवर सचिव एवं श्री प्रभाष चन्द्र सिंह 'प्रबल', अवर सचिव की अनुपस्थिति में श्री उमंग, अवर सचिव उनके कार्यों का पूर्ण निर्वहन करेंगे।
8. श्री उमंग, अवर सचिव एवं श्री आदित्य प्रकाश, अवर सचिव की अनुपस्थिति में श्री संजय कुमार, अवर सचिव उनके कार्यों का पूर्ण निर्वहन करेंगे।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ज्ञापांक:-1/अ0प्र0-1-36/2011

9544

(कुमार अनिल सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव

/पटना, दिनांक 3.9.25

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/सचिव के आशुलिपिक/विशेष सचिव के आशुलिपिक/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख के आप्त सचिव/सभी संयुक्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी मुख्य अभियंता/अभियंता प्रमुख के सचिव (प्रावैधिक)/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/प्रथम अपीलीय प्राधिकार/लोक सूचना पदाधिकारी/महाप्रबंधक, ब्राडा/सभी अवर सचिव/तकनीकी परामर्शी (विधि)/सभी संबंधित पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/सभी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एवं आई0 टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।